न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 177/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/197)

राधेश्याम पुत्र मोहनलाल जाति जांगिड निवासी निवासी गोलपुर तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।

1/1 श्रीमती जगदीशी देवी पत्नी स्व0 राधेश्याम
1/2 बनवारीलाल } पिसरान स्व0 राधेश्याम
1/3 रतनलाल
1/4 रामावतार
1/5 कैलाशी } पुत्रीयान राधेश्याम
1/6 धन्नी

} जाति जांगिड (खाती) निवासी गोलपुर तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. आम जनता गोलपुर जरिये–
   1– बदरीलाल पुत्र गलखो गुर्जर
   2– भंवरलाल पुत्र रामनारायण गुर्जर
   3– गंगाराम पुत्र हरिराम गुर्जर
   4– शंकरलाल पुत्र रामचन्द गुर्जर
   5– हरपाल पुत्र मनजी गुर्जर
   6– ग्यारसीलाल पुत्र माधोलाल गुर्जर
   7– गोपाल पुत्र श्योनारायण गुर्जर
   8– भैरूलाल पुत्र झीता गुर्जर
   9– रामेश्वर पुत्र नारायणदास वैष्णव
   10–राकेश पुत्र रामफूल गर्जर

   } निवासियान गोलपुर तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।

2. अध्यक्ष उपजिला कलक्टर (आवंटन सलाहकार समिति) बौली जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 29.2.2016 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 18/2015 आम जनता गोलपुर बनाम राधेश्याम व आवंटन सलाहकार समिति बौली जिला स0मा0 वगैरह ।

उपस्थितिः–

श्री अब्दुल बहाव वकील अपीलान्ट।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय 29.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गोलपुर के आराजी खसरा नम्बर 260 मे से अपीलान्ट को दिनांक 25.06.1973 को 2 बीघा 17 विस्वा भूमि का आवंटन हुआ था। इस आवंटन आदेश के खिलाफ आमजनता के नाम से तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.2016 पारित करते हुये आम जनता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार करते हुये यह निर्णय दिया कि उक्त आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन की श्रेणी में आता है क्योंकि वरवक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था तथा आवंटन मिथ्या कथन प्रस्तुत करने एवं छल कपट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि 260/3 नम्बर का कोई खसरा नम्बर रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन दिनांक 25.06.1973 अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.2016 से जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा खारिज कर दिया गया। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के उपरोक्त आदेश दिनांक 29.02.2016 के खिलाफ उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबधित मूल पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2016 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत तहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों का सही रूप से अवलोकन नहीं किया और न ही इनके संबंध में अपीलाधीन निर्णय में कोई विवेचन ही किया गंया। जबकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में सम्पूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत किया गया था। ग्राम गोलपुर के आराजी खसरा नम्बर 260 जो कि काफी बडा रकबा था, में से अपीलान्ट को दिनांक 25.06.1973 को 2 बीघा 17 विस्वा भूमि का आवंटन हुआ था और मुताबिक आवंटन के अपीलान्ट को पटवारी हल्का ने दिनांक 02.07.1973 को मौके पर कब्जा संभलवाया और पहले गैर खातेदारी व बाद में खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। इसके बाद अपीलान्ट विवादित भूमि पर रिकार्डेड खातेदार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। ग्राम गोलपुर के एक गुर्जर समदाय के कुछ व्यक्तियों ने आम जनता के नाम से अपीलान्ट को हुये आवंटन के काफी वर्षों बाद अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अदालत तहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.2.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, लेकिन अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि उसी पटवारी हल्का ने दिनांक 02.07.1973 की मौके पर जाकर कब्जा संभलवाया है यदि खसरा नम्बर 260 मौके पर नहीं होता तो अपीलान्ट को क्यों कर खसरा नम्बर 260 में कब्जा दिलवाया जाता, लेकिन तहत अदालत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। तहत अदालत ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि इसी खसरा नम्बर में अपीलान्ट के साथ–साथ आम जनता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें गोपाल पुत्र श्योनारायण को तथा गंगाराम के पिता हरिराम को आवंटन हुआ था, के साथ ही अन्य कई व्यक्तियों को भी आवंटन हुई थी। इसके संबध में अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेजात अदालत मातहत में प्रस्तुत किये जाने के बाबजूद भी अदालत मातहत ने उन पर कोई गौर नहीं किया। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत तहत ने इस बिन्दु पर भी कोई गौर नहीं किया कि खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात कानूनन कोई भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, परन्तु फिर भी तहत अदालत ने नियमानुसार किया हुआ आवंटन मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया है। तहत अदालत ने अपने निर्णय का आधार अपीलान्ट को भूमिहीन नहीं होना भी माना है, परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि जब अपीलान्ट को आवंटन हुआ तब अपीलान्ट के नाम खातेदारी भूमि नहीं होकर गैर खातेदारी भूमि थी। जिसका अंकन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है साथ ही उक्त भूमि अपीलान्ट की भूमि के सहारे ही स्थित होने के कारण नियमानुसार आवंटन हुआ है, लेकिन तहत अदालत ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है इसलिऐ निर्णय अदालत तहत काबिले निरस्त योग्य है। अपीलान्ट एक गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जिसका गांव में एक ही परिवार है। जबकि रैस्पोडेन्ट का गांव में थोक है जो कि अपीलान्ट की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने से अपीलान्ट को काफी नुकसान होगा। वैसे भी इतने लम्बे समय बाद 14(4) के प्रार्थना पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2016 निरस्त किया जावे व अपीलान्ट के हक में दिनांक 25.06.1973 को किये गये आवंटन को बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट आम जनता गोलपुर की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट को

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर रैस्पोडेन्ट ने जरिये अभिभाषक अपनी उपस्थिति अदालत मातहत में दी। विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2016 में उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस का उल्लेख करते हुए यह उल्लेख किया है। कि जहां तक विवादित भूमि के तालाब की भूमि होने का प्रश्न है तो प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि वक्त आवंटन तालाब की भूमि हो, परन्तु वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार यह मानते हुए कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता था, क्योंकि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अप्रार्थी के खाते में आवंटन से पूर्व 15 बीघा भूमि थी। जबकि आवंटन नियमों के अनुसार भूमिहीन काश्तकार को ही भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान है। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि वकील अप्रार्थी ने कथित आवंटन 50 वर्ष पुराना होने व आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का कथन किया है, किन्तु अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर किया जाना स्पष्ट है। उक्त आवंटन को मिसरिप्रजेन्टेशन की श्रेणी में मानते हुए अप्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन प्रस्तुत कर करवाया गया आवंटन माना है। इस आधार पर मिथ्या कथन प्रस्तुत करने अथवा छल कपट कर अर्थात् षडयंत्रपूर्वक करवाया गया आवंटन मानकर उक्त आवंटन को न्याय के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाना उचित माना है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अदालत मातहत में प्रस्तुत ग्राम गोलपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 व 2029 से 2032 के अनुसार अपीलान्ट के नाम खसरा नंबर 260/386 में 15 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा स्वयं अपीलान्ट की ओर से भी अदालत मातहत में प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 28 के अनुसार खसरा नंबर 260 15 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटित की जा सकती है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2016 यथावत रखा जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.2.2024

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर